

रा.के.मु.ज.-1066-1000-17.

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध-पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एक.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10-4-57 की अनुपालना में]

इस बन्ध-पत्र द्वारा मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता...../(नया नाम) जो अभी इससे पूर्व.....(पुराना नाम) कहलाता था/कहलाती थी एवं जो.....(संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किये गये पद का नाम) के रूप में.....(स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था/थी, एतद्वारा:-

(1) स्वयं तथा मेरे पति/मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम.....उपनाम.....(सिर्फ) को त्यागता/त्यागती हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम.....तथा उपनाम.....ग्रहण करता/करती हूँ एवं इसलिए मैं, मेरे पति/मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम.....(केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम.....द्वारा जाने जाएं।

(2) उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता/करती हूँ कि मैं एतद् पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध-पत्रों प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन-देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम.....तथा उपनाम.....(सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में.....नाम के रूप में तथा.....उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा/करूंगी एवं हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।

(3) स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी/पति, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम.....उपनाम.....के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता/करती हूँ। इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम.....तथा.....का वर्णन किया है तथा दिनांक.....को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम.....द्वारा जो पूर्व में.....कहलाता था/कहलाती थी हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी:

हस्ताक्षर

(1)

(नया नाम)

(2)

(पुराना नाम)

प्रतिहस्ताक्षर

(विभागाध्यक्ष)